संख्या-12/2019-386/58-2019-145/2018

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 22 मार्च, 2019**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राजकीय उद्यान गोरखपुर का जीर्णोद्वार हेतु व्यवस्थित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-159/बजट/2018-19**,** दिनांक 05.12.2018 एवं पत्र संख्या-209/बजट/2018-19**,** दिनांक 14.02.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018**,** दिनांक 30.03.2018 में निहित निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राजकीय उद्यान, गोरखपुर का **जीर्णोद्वार** योजनान्तर्गत पूंजीगत पक्ष में व्यवस्थित धनराशि रू0-100.00 लाख (रूपये-एक करोड़) मात्र को निम्नलिखिति शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने तथा उक्त धनराशि की वित्तीय तथा प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-10 **(धनराशि लाख रूपये में)**

लेखाशीर्षक	**कोड सं0/मद का नाम**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय- 02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव- 112-सार्वजनिक उद्यान- 07-राजकीय उद्यान गोरखपुर का जीर्णोद्वार	24-वृहत निर्माण कार्य	100.00
	योग	**100.00**

(रूपये-एक करोड़ मात्र)

(1) प्रस्तावित निर्माण कार्यों हेतु व्यय संबंधी उपलब्ध आगणनों का अनुमोदन एवं मूल्यांकन सक्षम स्तर से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विसंगति की स्थिति में निदेशक, उद्यान, वित्त नियंत्रक, उद्यान निदेशालय, अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर एवं नामित कार्यदायी संस्था सीधे उत्तरदायी होंगे।

(2) लोक सभा चुनाव 2019 के दृष्टिगत प्रदेश में प्रभावी आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसे निदेशक, उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018**,** दिनांक 30.03.2018 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(9) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(10) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(13) यदि विभाग द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है, तो उसके लिए निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग एवं अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर सीधे उत्तरदायी होंगे।

(14) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(15) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 4406-02-112-07-राजकीय उद्यान, गोरखपुर का जीर्णोद्वार-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-ई-1-330/दस-2019 दिनांक 22.03.2019 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-12/2019-386(1)/58-2019, तददिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार लेखा परीक्षक, प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, गोरखपुर।
(5) कोषाधिकारी, गोरखपुर।
(6) उप निदेशक उद्यान, गोरखपुर।
(7) अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर।
(8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in